न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 21/2024

रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/23

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री कचरू लाल जैन निवासी नई बस्ती, गनोडा, घाटोल, जिला बांसवाडा 327001 (विक्रेता/मालिक) मैसर्सः– विनोद कुमार कचरू लाल किराणा स्टोर नई बस्ती गनोडा, घाटोल, बांसवाडा (राज) फोन नं. 9929639121
2. श्री नीरज कुमार जैन पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता/मालिक) मैसर्सः– नीरज एन्टरप्राइजेज, सेनवासा, घाटोल, बांसवाडा मो.नं. 9928332543
3. श्री हिमांशु सागरिया पुत्र श्री आदेश्वर सागरिया निवासी नियर कबीर मंदिर, दाहोद रोड बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) **M/s- Abhishek Spices Banswara Mob.No** 9829484771
4. श्री पटेल हितेन कुमार अबांलाल भाई पुत्र पटेल अबांलाल भाई (नोमिनी) मैसर्सः– वसन्त मसाला प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद–389170 मो.नं. 9427407975
5. मैसर्स– वसन्त मसाला प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद 389170 मो.नं. 9427407975

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **02–02–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **31–01–2023** को दौराने निरीक्षण 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स– विनोद कुमार कचरू लाल किराणा स्टोर नई बस्ती गनोडा, घाटोल, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कचरू लाल जैन** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स– विनोद कुमार कचरू लाल किराणा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:43:58 IST
Reason: SelfAttested

स्टोर नई बस्ती गनोडा, घाटोल, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर दुकान में **धनिया पावडर (बंसत) के 500 ग्राम वजनी के 20 पैकेट रखे हुए थे। धनिया पावडर (बंसत)** जिसमे गुणवत्ता की कमी एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **धनिया पावडर (बंसत) के 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम कुल 2 किलोग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **520/– रु.** विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **धनिया पावडर (बंसत) के 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1283** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:43:58 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य [illegible] स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/125 दिनांक 22–02–2023 [illegible] विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 93 दिनांक 09–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (बंसत)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1283** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards act 2006 पाया

गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री कचरू लाल जैन निवासी नई बस्ती, गनोडा, घाटोल, जिला बांसवाडा 327001 (विक्रेता/मालिक) मैसर्सः– विनोद कुमार कचरू लाल किराणा स्टोर नई बस्ती गनोडा, घाटोल, बांसवाडा (राज)** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **धनिया पावडर (बंसत)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **धनिया पावडर (बंसत)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्सः– नीरज एन्टरप्राइजेज, सेनवासा, घाटोल, बांसवाडा** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्सः– नीरज एन्टरप्राइजेज, सेनवासा, घाटोल, बांसवाडा** से यह पत्र व्यवहार करने पर **M/s- Abhishek Spices Banswara** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स– M/s- Abhishek Spices Banswara** से यह पत्र व्यवहार करने पर बताया कि मेरे द्वारा यह खाद्य पदार्थ **मैसर्स– वसन्त मसाला प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद 389170** से खरीदा गया है। विक्रेता द्वारा **धनिया पावडर (बंसत)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 05–02–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 08–04–2024 को अप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर से श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 18.06.2024 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 14.10.2024 को अप्रार्थी सं. 1 से 5 के अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर प्रकरण को समाप्त करना चाहते है। विपक्षीगण की भावना को दृष्टिगत रखते हुए जुर्माने में नरमी बरतने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:43:58 IST
Reason: SelfAttested

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है जिससे किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.

ए/2023/125 दिनांक 22–02–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 93 दिनांक 09–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (बंसत)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1283** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **धनिया पावडर (बंसत)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री कचरू लाल जैन निवासी नई बस्ती, गनोडा, घाटोल, जिला बांसवाडा 327001 (विक्रेता/मालिक) मैसर्सः– विनोद कुमार कचरू लाल किराणा स्टोर नई बस्ती गनोडा, घाटोल, बांसवाडा को रूपये 2000/– (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र), श्री नीरज कुमार जैन पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता/मालिक) मैसर्सः– नीरज एन्टरप्राइजेज, सेनवासा, घाटोल, बांसवाडा को रूपये 2000/– (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र), श्री हिमांशु सागरिया पुत्र श्री आदेश्वर सागरिया निवासी नियर कबीर मंदिर, दाहोद रोड बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) M/s- Abhishek Spices Banswara को रूपये 3,000/– (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री पटेल हितेन कुमार अबांलाल भाई पुत्र पटेल अबांलाल भाई (नोमिनी) व मैसर्सः– वसन्त मसाला प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को रूपये 5000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 14–10–2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)